



# ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

## कार्यालय आदेश

शिक्षा विभाग बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक- मा0शि0/स्था0 "ख"-171/2016/1512 दिनांक 05.08.2021 द्वारा कोविड महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन के संबंध में निर्गत आदेश के आलोक में अधिसूचित किया जा रहा है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं इसके अन्तर्गत सभी कार्यालय/स्नातकोत्तर विभाग/स्ववित्त पोषित संस्थान/अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के शत- प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। पूर्व की भाँति शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की उपस्थिति विवरणी विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा। सभी विभागाध्यक्षों एवं प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि अगले आदेश तक भौतिक शिक्षण कार्य का संचालन कुल छात्रों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ करने की व्यवस्था की जाय तथा विभागों/महाविद्यालयों में किसी भी प्रकार की परीक्षा भौतिक रूप से नहीं ली जायेगी। सभी व्यस्क छात्र/छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को कोविड-19 का टीका लेना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (Vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन अक्षरसः किया जाएगा।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से,

ह0/-

(प्रो0 मुश्ताक अहमद)

कुलसचिव


ज्ञापांक: C/R/8552-691/21

दिनांक: 06/08/2021

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. निदेशक, सभी स्ववित्तपोषित संस्थान, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
3. सभी प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
4. सभी पदाधिकारी, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
5. कुलपति के सचिव/प्रति-कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

  
06/08/21  
कुलसचिव